मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6–7, जाब्ता दीवान)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :–उमा मित्तल आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 10 / 2022

रमेश पुत्र जगराम उर्फ जगदीश जाति जाट निवासी सूरांवाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

—वादी

बनाम

1— करणी सहारण पुत्र जगराम उर्फ जगदीश जाति जाट निवासी सूरांवाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

2— धापा देवी पत्नी जगराम उर्फ जगदीश जाति जाट निवासी सूरांवाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

3— लालचंद पुत्र श्री हरीराम जाति जाट निवासी सूरांवाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

4— मीरादेवी पत्नी लालचंद जाति जाट निवासी सूरांवाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

5— अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड प्रथम हनुमानगढ संगम तहसील व जिला हनुमानगढ।

6— राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

—प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा

डिकी

दिनांक :– 09/09/25

वादी की ओर से श्री राकेश पूनियां अधिवक्ता, प्रतिवादीगण की ओर से श्री तरसेम सिंह सिद्धू इस वाद मे आज दिनांक को **उमा मित्तल** आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर दस्तावेजात रिपोर्ट तहसीलदार एवं रिपोर्ट जल संसाधन विभाग के आधार पर इकबाल दावा के आधार पर वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर –

चक 41 एल एल डब्ल्यू के प.नं. 14/246 के [illegible] 3/2, 4/2, 5/2 प्रत्येक में 0025–0.025 है0 गैरमुमकिन खाला के अंकन को ह[illegible] ज[illegible] व गैरमुमकिन खाला की भूमि मुमकिन वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व [illegible] के [illegible] किये [illegible] आदेश दिया जाता है।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित [illegible] घग्घर, [illegible] किसी भी न्यायाल[illegible] कोई वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होनें तथा [illegible] स्थगन आदि न होनें, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होनें की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होनें तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होनें की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.09.26 16:36:31 IST
Reason: SelfAttested

किस्म यथा नहरी /बारानी / गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 09/09/25 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(उमा मित्तल आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी

सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.09.26 16:36:31 IST
Reason: SelfAttested